<u>न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–01, मथुरा</u>

सत्र परीक्षण सं0–299 / 2017

राज्य बनाम करतार

<u>06.12.2017</u>

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई।

इस केस में अभियुक्त को दिनांक 29.11.2017 को आरोप बनाए जाने के लिए अन्तिम अवसर दिया गया था, लेकिन दिनांक 29.11.2017 को पुनः स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय को आदेश यह पारित करना है कि क्या स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाए ?

पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस केस में अन्तिम अवसर दिया जा चुका है। फिर से समय दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय ने विस्तारपूर्वक आदेश दिनांकित 27.09.2017 में आरोप विरचित किये जाने हेतु अन्तिम अवसर दिया और यह भी लिखा कि अगर अभियुक्तगण के पक्ष से कोई विलम्ब कारित किया गया, तब अभियुक्तगण को प्रदत्त जमानत का उनके द्वारा दुरुपयोग किया जाना समझा जाएगा एवं वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उक्त आदेश के बावजूद भी अभियुक्त करतार को तीन बार समय प्रदान किया गया है, किन्तु अभी तक अभियुक्त के अनुपस्थित होने के कारण उसके विरुद्ध आरोप नहीं बनाया जा सका है। अतः प्रार्थनापत्र 18ख हाजिरी माफी हेतु दिया गया प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। अभियुक्त करतार के विरुद्ध दिनांक 02.01.2018 के लिए बी0डब्लू0 रुपए 10,000 / – जारी हो। बी0डब्लू0 का आदेश इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज की तिथि पर सभी अभियुक्तगण को उपस्थित कराए जाने का एवं आरोप बनाने का वचन दिया गया है।

पत्रावली हाजिरी हेतु उक्त तिथि 02.01.2018 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–01, मथुरा